पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अंजना कुमारी

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 6203

06 मई 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या प्रतिवादी आयोग ने याचिकाकर्ता की बीसी (05) और बीसीएल (06) श्रेणी के तहत उम्मीदवारी को सही ढंग से खारिज कर दिया और उसे पिछले वित्तीय वर्ष का गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में रखा?

हेडनोट्स

चयन और नियुक्ति---आरक्षण का दावा करने वाली महिला उम्मीदवार का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र---संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बीपीएससी के हस्ताक्षर से जारी दिनांक 27.02.2020 के आदेश को रद्द करने के लिए रिट याचिका, जिसके तहत याचिकाकर्ता के लिखित परीक्षा के परिणाम और सरकार में प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि साक्षात्कार के समय उसने अपना जाति प्रमाण पत्र/क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

किया था और इस कारण उसे सामान्य श्रेणी में रखा गया था तथा उसने सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंक भी प्राप्त नहीं किए थे।

निर्णय: याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र के साथ वर्ष 2013 का गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र संलग्न किया है--- याचिकाकर्ता की अस्वीकृति इस आधार पर है कि याचिकाकर्ता ने बिहार सरकार के दिनांक 08.03.2011 के संकल्प के खंड 12 के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों के पिता के संबंध में आयकर प्रमाण पत्र, जो याचिकाकर्ता के मामले में बीसी और बीसीएल में विचार किए जाने के लिए अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, जो एक महिला उम्मीदवार है, पिछले वित्तीय वर्ष का होना चाहिए और यह केवल एक वर्ष के लिए वैध है----यहां तक कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता के पिता की वर्ष 2015 में मृत्यु हो गई थी, राज्य सरकार के दिनांक 08.03.2011 के संकल्प के खंड 11 और 12 के प्रावधान में पिता के जीवित न होने की स्थिति में माता के आयकर प्रमाण पत्र की व्यवस्था है----यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि महिला उम्मीदवार अपने पिता की जाति रखती है--- याचिकाकर्ता स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है आवेदन पत्र जमा करने के समय तथा साक्षात्कार के समय अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करना---रिट खारिज। **(पैरा 7-14)**

न्याय दृष्टान्त

डॉ. संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2017 (1) पीएलजेआर 786 ..... पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

चयन एवं नियुक्ति----महिला अभ्यर्थी का क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र न होना---विज्ञापन की शर्तें---उम्मीदवारी की अस्वीकृति---पिछड़ी जाति आरक्षण--- अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करना।

प्रकरण से उत्पन्न

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बी.पी.एस.सी. के हस्ताक्षर से जारी दिनांक 27.02.2020 का आदेश।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री संजय कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्रीमती बिनीता सिंह, एससी-28

बी.पी.एस.सी. की ओर से: श्री संजय पांडे, अधिवक्ताय श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता; श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गया; घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 6203

==========

अंजना कुमारी, पति- संजय पोद्दार, पिता- स्वर्गीय गौरीशंकर पोद्दार, निवासी- मुहल्ला संत पथ, बचस्पति नगर, पुलिस स्टेशन- बहादुरपुर, पटना-800006

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य

2. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना

4. बिहार लोक सेवा आयोग, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना

5. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना

6. संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री संजय कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्रीमती बिनिता सिंह, एससी-28

बी.पी.एस.सी. के लिए : श्री संजय पांडे, अधिवक्ता

श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह

मौखिक निर्णय

तारीखः 06-05-2025

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संजय कुमार; राज्य की ओर से विद्वान एससी-28 श्रीमती बिनिता सिंह और बिहार लोक सेवा आयोग के विद्वान वकील श्री निशांत कुमार झा और श्री आयुष कुमार के साथ विद्वान वकील श्री संजय पांडे को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका के पैराग्राफ नं. 1 में याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की है, जिसे इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *यह संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना, (संक्षेप में 'बी.पी.एस.सी.') के हस्ताक्षर से जारी दिनांक 27.02.2020 के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण-लेख की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए एक आवेदन है, जहां तक यह याचिकाकर्ता से संबंधित है, जिसके तहत लिखित परीक्षा का परिणाम और सरकार में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी। प्रशिक्षण महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 02/2016 दिनांक 03.05.2016 के विरुद्ध आवेदन इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि साक्षात्कार के समय उसके पास जाति प्रमाण पत्र/क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं था और इस कारण उसे सामान्य श्रेणी (01) में रखा गया और उसने सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंक प्राप्त नहीं किए थे और आगे वह याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ उक्त पद*

पर नियुक्त करने के लिए परिणामी रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, रिट आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना करती है और आगे ऐसे अन्य आदेश/निर्देश जारी करने की प्रार्थना करती है जिसके लिए याचिकाकर्ता को इसके बाद बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों में कानूनी रूप से हकदार पाया जा सकता है।"

संक्षिप्त तथ्यः

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवश्यक योग्यता रखने वाले याचिकाकर्ता ने विज्ञापन संख्या 02/2016 दिनांकित 03.05.2016 के अनुसार सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्त होने के लिए आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया हुई और परिणाम प्रकाशित किया गया था, लेकिन इस न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण साक्षात्कार के समय इसे रद्द कर दिया गया था, 2018 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 15081 (रवि कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य) में पारित आदेश के अनुसार और अन्य समान मामले, जिनके खिलाफ, राज्य और बिहार लोक सेवा आयोग (जिसे इसके बाद "आयोग" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 2021 की एल. पी. ए. संख्या 384 को प्राथमिकता दी थी, जिसमें इस न्यायालय की खंड पीठ ने 2018 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 15081 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 22.03.2021 के आदेश को दरकिनार कर दिया था। याचिकाकर्ता इस बात से व्यथित है कि उसने सामान्य समूह और हिंदी समूह विषयों में व्याख्याता के पद के लिए क्रमशः बी. सी. (05) और बी. सी. एल. (06) श्रेणी के तहत आवेदन किया था और उसे अनुक्रमांक 204169 आवंटित किया गया था। याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार आयोग के परिसर में 09.12.2019 से 04.01.2020 के बीच आयोजित

किया गया था। याचिकाकर्ता को क्रमशः कॉमन ग्राउंड और हिंदी समूह विषयों के तहत 12.12.2019 और 04.01.2020 पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर एक संयुक्त योग्यता सूची तैयार की गई थी और योग्यता सूची के अनुसार चयन किया गया था। अंतिम परिणाम 27.02.2020 को प्रकाशित किया गया था। सफल उम्मीदवारों की सिफारिश आयोग द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 08.05.2020 के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी गई थी। तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2013 में जारी किए गए अपने मृतक पिता से संबंधित नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और बी. सी. (05) और बी. सी. एल. (06) श्रेणी के तहत उनकी उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र (फॉर्म) जमा करने की अंतिम तिथि यानी 08.06.2016 से पहले जमा नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता उक्त कार्रवाई से व्यथित है। हालाँकि, उसकी उम्मीदवारी को अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी (1) के तहत माना गया था। याचिकाकर्ता ने 48 अंक प्राप्त किए, जो सामान्य समूह विषय में लिखित परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी (1) 52 अंकों और अनारक्षित (महिला) 51 अंकों के कट-ऑफ अंकों से कम थे और याचिकाकर्ता की लिखित परीक्षा का परिणाम सामान्य समूह विषय के लिए रद्द कर दिया गया था। हिंदी समूह विषय के लिए, अनारक्षित श्रेणी (01) के कट-ऑफ अंक 51 अंक थे और अनारक्षित (महिला) 47 अंक थे और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अनारक्षित (महिला) श्रेणी में हिंदी समूह में माना गया था। याचिकाकर्ता ने अंततः 62.753 अंक प्राप्त किए थे, जो अनारक्षित (महिला) श्रेणी के कट-ऑफ अंक 70.080 से कम थे और याचिकाकर्ता को सफल घोषित नहीं किया गया था।

<u>याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतिकरण:</u>

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या, गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र, जो याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ अंतिम तिथि अर्थात 08.06.2016 से पहले प्रस्तुत किया गया था, वर्ष 2013 में राज्य सरकार के संकल्प दिनांक 8 मार्च, 2011 के खंड 8 में निहित प्रावधान के आलोक में जारी किया गया था, जिसमें प्रावधान है कि गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र केवल एक बार जारी किया जा सकता है और इसके समर्थन में, विद्वान वकील ने प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से दायर प्रति-शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 14, 15 और 16 का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की अस्वीकृति इस आधार पर है कि याचिकाकर्ता के पिता के नाम पर जारी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र में उसके पति का पता शामिल था। याचिकाकर्ता ने आगे बताया कि चूँकि याचिकाकर्ता विवाहित थी, इसलिए उसके पति का पता दिखाते हुए नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र जारी किया गया था, लेकिन इससे वह प्रमाणपत्र अमान्य नहीं होगा, जो उसके पिता की आय का सही आंकड़ा देता है। विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि चूँकि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 09.06.2015 को हो गई थी, इसलिए नया नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का कोई सवाल ही नहीं था और इस तथ्य पर उस समय विचार नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रमाणपत्र का विवरण और मूल प्रति देते हुए चेक-लिस्ट भरने के लिए कहा गया था। इस स्वीकार्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र उन परिस्थितियों में था, जब उसके पिता की मृत्यु वर्ष 2015 में हुई थी, वह पिछले वर्ष का नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी और उसने आवश्यक चेक-लिस्ट के कॉलम संख्या 6 को सही ढंग से भरा था, जिसे उसने 04.01.2020 को भरा था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अंतर्गत याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करना राज्य सरकार के 8 मार्च, 2011 के संकल्प के

प्रावधान के विरुद्ध है, विशेष रूप से उक्त संकल्प के खंड 8 के, जिसमें यह अनिवार्य है कि केवल एक बार ही गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। इन आधारों पर, विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि वह अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अंतर्गत कट-ऑफ अंक प्राप्त कर सकती थी और आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत विचार न करना प्रतिवादी/प्रतिवादियों की मनमानी कार्रवाई है, जिन्होंने याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया है।

उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुतियाँ:

5. इसके विपरीत, आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय पांडे ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वर्ष 2013 का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया था और मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय भी उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार के दिनांक 08.03.2011 के संकल्प के खंड 12 के उप-खंड (ii) और उप-खंड (iii) के अनुसार, आय प्रमाण पत्र की वैधता केवल एक वर्ष के लिए है और यह पिछले वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। याचिकाकर्ता के मामले पर अमान्य प्रमाण पत्र के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता और बीसी (05) और बीसीएल (06) श्रेणी के तहत उसका दावा खारिज कर दिया गया, जिसके कारण उसकी उम्मीदवारी पर अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने सामान्य समूह विषय में लिखित परीक्षा में 48 अंक प्राप्त किए, जो अनारक्षित श्रेणी (01) के कट-ऑफ अंकों 52 अंकों और अनारक्षित (महिला) के कट-ऑफ अंकों 51 अंकों से कम थे और याचिकाकर्ता की सामान्य समूह विषय के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया गया। हिंदी समूह विषय के लिए, अनारक्षित श्रेणी (01) के कट-ऑफ अंक 51

अंक और अनारक्षित (महिला) के कट-ऑफ अंक 47 अंक थे और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अनारक्षित (महिला) श्रेणी में हिंदी समूह में माना गया। याचिकाकर्ता ने अंततः 62.753 अंक प्राप्त किए, जो अनारक्षित (महिला) श्रेणी के कट-ऑफ अंकों 70.080 से कम थे और याचिकाकर्ता को असफल घोषित कर दिया गया।

विश्लेषण और निष्कर्षः

6. पार्टियों को सुना।

7. पक्षों की ओर से की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के साथ-साथ, रिट याचिका, जवाबी हलफनामा, पूरक जवाबी हलफनामा और उनके/उसके जवाब में की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, इससे पहले कि मैं वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूं, मुझे राज्य सरकार के दिनांकित 08.03.2011 के संकल्प के प्रावधान को पुनः प्रस्तुत करना उचित लगता है, जो उस समय लागू था जब विज्ञापन संख्या 02/2016 दिनांक 03.05.2016 जारी किया गया था, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने सामान्य समूह और हिंदी समूह विषयों में सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्त होने के लिए आवेदन किया था। बी. सी. (05) और बी. सी. एल. (06) श्रेणी के तहत याचिकाकर्ता की अस्वीकृति को देखते हुए, उक्त प्रस्ताव/संकल्प के खंड 8 को इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"ओ0बी0सी0 (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाणपत्र बार-बार निर्गत नहीं किये जायेंगे। पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र के साथ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/4/97-स्था0(आरक्षण) दिनांक 25.07.03, जिसे सामान्य*

प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-11/वि05-09/1998-1074 दिनांक 06.07.2005 द्वारा परिचारित किया गया है, के आलोक में क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी शपथपत्र फॉर्म- XVIII में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जायेगा, जो मान्य होगा। "

8. खंड 8 के खाली पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट केवल एक बार जारी किया जा सकता है।

9. राज्य सरकार के दिनांकित 08.03.2011 प्रस्ताव/संकल्प के खंड 11 को इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"आय प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगेः-

(10.1) वेतन/पेंशन पर्ची।

(10.2) आयकर रिटर्न।

(10.3) अमान्य अभिलेख।"

10. राज्य सरकार के दिनांकित 08.03.2011 के संकल्प का खंड 12 इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" प्रमाणपत्रों की वैधताः-

i. जाति प्रमाणपत्रः- सामान्यता जाति प्रमाणपत्र की वैधता की कोई सीमा नहीं होगी।

ii. आय प्रमाणपत्र आयः- प्रमाणपत्र हेतु आय का आकलन गत वितीय वर्ष के आय के आधार पर होगा, जो निर्गत होने की तिथी से अगले एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा।

iii. आवास प्रमाणपत्रः- (क) सामान्यतया अस्थायी आवास प्रमाणपत्र की मान्यता निर्गत होने की तिथी से आधिकतम एक वर्ष तक होगी।

(ख) स्थायी आवास प्रमाणपत्र की वैधता का कोई सीमा नहीं होगी।"

11. याचिकाकर्ता की अस्वीकृति इस आधार पर है कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के उपरोक्त संकल्प के खंड 12 के संदर्भ में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। मुझे लगता है कि दिनांक 08.03.2011 के प्रस्ताव/संकल्प में निहित प्रावधानों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 और 309 का अधिदेश है और उस दृष्टिकोण से, मैं पाता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के खंड 12 के उप-खंड (ii) में प्रदान की गई आवश्यकता यह है कि उम्मीदवारों के पिता के संबंध में आयकर प्रमाण पत्र, जो बी. सी. (05) और बी. सी. एल. (06) में अपनी उम्मीदवारी माने जाने के लिए/पर विचार करने का दावा कर रहे हैं, जैसे कि वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में, जो एक महिला उम्मीदवार है, पिछले वित्तीय वर्ष का होना चाहिए और यह केवल एक वर्ष के लिए वैध है।

12. विज्ञापन सं. 02/2016 दिनांकित 03.05.2016 का खंड 7 आरक्षण के लिए नियम और शर्तें शामिल हैं। विज्ञापन के खंड 9 और 10 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का प्रावधान है। मैं पाता हूं कि अंतिम तिथि पर या साक्षात्कार की तारीख से पहले, जिसके लिए तारीख घोषित की गई थी, कुछ नियम और शर्तें भी हैं, जो चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि इसने किसी भी तरह से चयन प्रक्रिया को बाधित किया था या किसी भी तरह से *'खेल के नियम'* को बदल दिया है। अमान्य प्रमाणपत्र को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के तहत

विचार किया जा सकता था और इस संबंध में, मुझे उत्तरदाताओं नं. 4 से 6 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे का पैराग्राफ संख्या 17 में निहित जानकारी को पुनः प्रस्तुत करना उचित लगता है, जो *अन्य बातों के साथ* इस प्रकार हैः

> *"17. यह कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र और घोषणा के संबंध में, आयोग ने 09.02.2020 को आयोजित अपनी बैठक में उसके पिता के नाम पर जारी नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके पति के पते के साथ। इसलिए, आवश्यक प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के मामले में, याचिकाकर्ता को अनारक्षित श्रेणी (1) में माना गया था। याचिकाकर्ता ने 48 अंक प्राप्त किए जो सामान्य समूह विषय में लिखित परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी (01)-52 अंकों और अनारक्षित (महिला)-51 अंकों के कट-ऑफ अंकों से कम हैं और इस प्रकार, याचिकाकर्ता की लिखित परीक्षा का परिणाम सामान्य समूह विषय के लिए रद्द कर दिया गया था। हिंदी समूह विषय के लिए, अनारक्षित श्रेणी (01) के कट-ऑफ अंक 51 अंक थे और अनारक्षित (महिला) के 47 अंक थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को केवल अनारक्षित (महिला) में हिंदी समूह में माना गया था। याचिकाकर्ता ने अंत में 62.753 अंक प्राप्त किए थे जो अनारक्षित (महिला) श्रेणी के कट-ऑफ अंक 70.080 से कम हैं और इसलिए, याचिकाकर्ता को सफल घोषित नहीं किया गया था।"*

13. क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के संबंध में कानून का इस न्यायालय के खंड पीठ द्वारा ***2016 के एल.पी.ए. सं. 737 (डॉ. संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य)*** में विचार/निपटारा किया गया है, जिसे ***2017 (1) पी. एल. जे. आर. 786*** में रिपोर्ट किया और उसी ने/इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***2017 के एस. एल. ए. (सी) संख्या 6934*** में पारित दिनांकित 13.12.2022 के आदेश द्वारा पुष्टि की है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए,

मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता स्वयं आवेदन पत्र जमा करने के समय और साक्षात्कार के समय आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने के लिए जिम्मेदार है।

14. यहां तक कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता के पिता की वर्ष 2015 में मृत्यु हो गई थी, राज्य सरकार के दिनांकित 08.03.2011 के संकल्प के खंड 11 और 12 के प्रावधान में पिता के जीवित नहीं होने की स्थिति में मां का आयकर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। याचिकाकर्ता ऐसा करने में विफल रहा था और जहां तक आयोग की कार्रवाई का संबंध है, मैं किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करता। यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि महिला उम्मीदवार अपने पिता की जाति धारण करती है। रिट याचिका उन कारणों से विफल हो जाती है जो मैंने ऊपर दर्ज किए हैं।

15. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

16. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(पूर्णेन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

नीरज/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया

जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।